

**कार्यालय: निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, तपोवन, देहरादून**

आदेश सं०-सेवा-2/अराज./ 809 /2016-2017 दिनांक 23 अगस्त 2016

**"विज्ञप्ति/नियुक्ति"**

लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को शासनादेश सं० 389/XXIV-नवसृजित/16-17 (01)/2011 दिनांक 08 जून, 2016, सं० 469/XXIV-नवसृजित/16-17 (01)/2011 दिनांक 04 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या 257/XXIV-नवसृजित/16-07(04)/2016 दिनांक 22 अप्रैल, 2016 के क्रम में विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा, वेतनक्रम, (वेतन बैंड-2 रु० 9300-34800, ग्रेड पे 4800) में प्रवक्ता हिन्दी (महिला शाखा) के पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-07 में अंकित विद्यालय में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली, 2008 के प्रस्तर-19 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियुक्त अभ्यर्थी न्यूनतम दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे। प्रथम नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

क्र०सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम व पता	श्रेणी / उप श्रेणी	जन्मतिथि गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	विद्यालय का नाम	अन्य विवरण	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	09
1	अंजलि नगरकोटी	श्री गोविन्द सिंह नगरकोटी, ग्राम काण्डा पड़ाव टंडार पो०ओ० काण्डा बागेश्वर	GEN/UF	7-10-88 बागेश्वर	एम०ए० हिन्दी बी०ए० संस्कृत बी०एड०	रा०बा०इ०का० काण्डा बागेश्वर	-	रिक्त पद के प्रति
2	कविता सती	श्री मदन मोहन सती, तलवाड़ी स्टेट, कल्पना मेडीकोट-लोवर मार्केट थराली जिला चमोली,	GEN/UF	15-04-88 चमोली	एम०ए० हिन्दी बी०ए० संस्कृत बी०एड०	रा०बा०इ०का० थराली चमोली	औपबन्धिक (बी. एड. प्रमाण पत्र सत्यापन के अधीन)	रिक्त पद के प्रति
3	मंजू	श्री बालम सिंह, म०सं०-87, गली/मोहल्ला चौना, ग्राम चौना पनेरा, पो० कन्हील, जनपद अल्मोड़ा	GEN/UF	10-06-90 अल्मोड़ा	एम०ए० हिन्दी बी०ए० संस्कृत बी०एड०	रा०बा०इ०का० द्वाराहाट अल्मोड़ा	-	रिक्त पद के प्रति
4	भारती नौटियाल	श्री कैलाश प्रसाद नौटियाल, ग्राम व पो० उम्मेदपुर, प्रेमनगर देहरादून	GEN/UF	06-12-89 देहरादून	एम०ए० हिन्दी बी०ए० संस्कृत बी०एड०	रा०बा०इ०का० थत्यूड टिहरी गढ़वाल	-	रिक्त पद के प्रति
5	सपना नेगी	श्री भगवान सिंह नेगी, ग्राम रेनापुर, पो०ओ० रानीपोखरी देहरादून	GEN/UF	01-07-86 देहरादून	एम०ए० हिन्दी बी०ए० संस्कृत बी०एड०	रा०बा०इ०का० घनसाली टिहरी गढ़वाल	-	रिक्त पद के प्रति
6	श्रीमती लक्ष्मी बिष्ट	श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट, ग्राम सिरौली पो०ओ० मण्डल क्षेत्र दशौली, बैरांगना चमोली	GEN/UF	01-01-85 चमोली	एम०ए० हिन्दी बी०ए० संस्कृत बी०एड०	रा०बा०इ०का० लैन्सडौन पौड़ी गढ़वाल	-	रिक्त पद के प्रति

क्र०सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम व पता	श्रेणी / उप श्रेणी	जन्मतिथि गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	विद्यालय का नाम	अन्य विवरण	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	09
7	कमला बिष्ट	श्री रमेश सिंह बिष्ट, ग्राम दुगालखोला नियर ताम्रनगरी पो०ओ० अल्मोड़ा जनपद अल्मोड़ा	GEN/UF	13-07-82 अल्मोड़ा	एम०ए० हिन्दी बी०ए० संस्कृत बी०एड०	रा०बा०इ०का० बाड़ेछीना अल्मोड़ा	—	रिक्त पद के प्रति
8	गार्गी लोहनी	श्री हरीश चन्द्र लोहनी, म०नं० 479 ईश्वर विहार निकट—चम्बलपुल, ग्रा० बिठौरिया, जनपद—नैनीताल	GEN/UF	15-03-88 नैनीताल	एम०ए० हिन्दी बी०ए० संस्कृत बी०एड०	रा०बा०इ०का० जयन्ती अल्मोड़ा	—	रिक्त पद के प्रति
9	अनुराधा	श्री राजेन्द्र सिंह राणा, ग्राम दानकोट, पो० गहड़खाल जनपद रुद्रप्रयाग	GEN/UF	16-04-91 रुद्रप्रयाग	एम०ए० हिन्दी बी०ए० संस्कृत बी०एड०	रा०बा०इ०का० पोखरी चमोली	—	रिक्त पद के प्रति
10	रेखा	श्री बृजमणी, म०नं०-07 ग्राम व पो० भटवाड़ी धनारी जनपद उत्तरकाशी	OBC/UF	09-11-88 उत्तरकाशी	एम०ए० हिन्दी बी०ए० संस्कृत बी०एड०	रा०बा०इ०का० पुरड़ा बागेश्वर	—	रिक्त पद के प्रति
11	कु० सरिता	श्री आनन्द लाल, ग्राम व पो० जखण्ड जनपद टिहरी	SC/UF	15-11-81 टिहरी	एम०ए० हिन्दी बी०ए० संस्कृत बी०एड०	रा०बा०इ०का० भरसोली अल्मोड़ा	—	
12	हेमा नेगी	श्री चन्दन सिंह ग्राम सिमलखेत, पो० पाण्डुवाखाल जनपद अल्मोड़ा	GEN/UF PH(B.P B)	07-03-92 अल्मोड़ा	एम०ए० हिन्दी बी०ए० संस्कृत बी०एड०	रा०बा०इ०का० मासी अल्मोड़ा	—	
13	दीपा	श्री बालीराम, ग्राम मंगचौड़ा, पो० पन्त कोटली, जनपद अल्मोड़ा	SC/UF	10-03-90 अल्मोड़ा	एम०ए० हिन्दी बी०ए० संस्कृत बी०एड०	रा०बा०इ०का० दौलाघट अल्मोड़ा	—	

2. नियुक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से 20 दिन के भीतर नियुक्त अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख उपर्युक्त स्तम्भ-07 पर अंकित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित समयवधि में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

3. ऐसे अभ्यर्थी जिनके शैक्षिक/प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित विश्वविद्यालयों से कराया जा रहा है, के नाम के सम्मुख औपबन्धिक अंकित किया गया है। संबंधित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रमाण पत्रों के उपयुक्त सत्यापन के अधीन रहेगी। सत्यापन में प्रमाण पत्र उपयुक्त न पाये जाने पर उक्त पद हेतु उनका दावा मान्य नहीं होगा।

4. नियुक्ति के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण के उपरान्त संबंधित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम-8 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(बी०एस० नेगी)  
प्रभारी अपर निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।



पू0सं0 सेवा-2/अराज0/16928-940/2016-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) सचिव, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- (2) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- (3) महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (4) सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
- (5) सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल।
- (6) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- (7) मुख्य कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
- (8) संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं की संकलित सूचना कार्यभार ग्रहण की तिथि सहित मण्डलीय अपर निदेशक के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- (9) वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, संबंधित जनपद।
- (10) संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस आशय से कि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उनकी अंकना ई-पोर्टल पर करना सुनिश्चित करें।
- (11) संबंधित प्रधानाचार्य को इस निर्देश के साथ कि वे संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण/जाति/अन्य प्रमाण पत्रों की जांच मूल अभिलेखों से भली-भांति करने के पश्चात् उन्हें कार्यभार ग्रहण करायें तथा औपबन्धन की स्थिति में उपर्युक्त प्रस्तर-3 के अनुरूप इस आशय का अनुबन्ध पत्र भी प्राप्त कर लिया जाय। यह भी सुनिश्चित हो लें कि संबंधित अभ्यर्थी संस्कृत विषय से स्नातक उपाधिधारक हो। प्रमाण पत्रों में भिन्नता होने पर इसकी सूचना निदेशालय को उपलब्ध करायें।
- (12) संबंधित अभ्यर्थी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत की तिथि से 20 दिन के भीतर अपनी तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो उनकी नियुक्ति को निरस्त करते हुए आयोग को सूचित कर दिया जायेगा। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा संस्थाध्यक्ष के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण/जाति/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज के प्रमाणित फोटो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, जहां शिक्षा प्राप्त की हो, प्रस्तुत करने होंगे। विवाहित अभ्यर्थी को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी एक ही जीवित पत्नी/पति हैं। संबंधित अभ्यर्थी को संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा प्रमाण पत्र कि "मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है" प्रस्तुत करने होंगे।
- (13) सूचना प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (14) कार्यालय आदेश पुस्तिका।

(यू0डी0 गोस्वामी)

उप निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।